न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी - सुनील आर्य R.A.S.

मु०नं० 35/07

रतीराम पुत्र श्री बुद्धू जाति गूजर निवासी पीपरी तहसील बयाना
जिला भरतपुर राज०

— वादी

बनाम

1- श्रीमान जिला कलक्टर महो० भरतपुर
2- तहसीलदार तहसील बयाना

— प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act

निर्णय दिनांक 01/02/21

उपस्थिति -

श्री धनीराम एड० वादी

वादी द्वारा दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आ०ख०नं० 1059 रकबा 0.45, 1060 रकबा 0.03, 1061 रकबा 0.50 किता 3 रकबा 0.98 हे० वाके ग्राम पीपरी तहसील बयाना स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड, खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी है यह भूमी वादी को विरासत में प्राप्त हुई है क्योंकि वादी के पूर्वजों के खुद काश्त व खेवट की आराजी है ... हमेशा से वादी और वादी से पूर्व वादी के पूर्वज ... किया जाता रहा है। विवादित आराजीयात पर सम्वत 2012 से पूर्व यानी राजस्थान काश्तकारी विधेयकारी उन्मूलन के लागू होने से पूर्व से ही तोहाल दस्तूर आज तक निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

इस प्रकार यह आराजी कभी भी किसी रूप में चारागाह के रूप में नहीं रही है। इस आराजी में कभी भी मवेशी नहीं चरे है। हमेशा से काश्त होती रही है। आज भी काश्त हो रही है इसके अलावा इस भूमि के आने-जाने के लिए अलग से कोई रास्ता कायम नहीं है यह आराजी अन्य खातेदारों की आराजी के मध्य स्थित है। विवादित आराजी को पटवार रिकार्ड में चारागाह दर्ज कर रखा है जो खिलाफ मौका व गैर-कानूनी है। इस गलत इन्द्राज के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 22/5/06 को मौके पर वादी को एकतरफा बेदखल करने, वादी के कब्जे से छिनाने की नीयत से धमकी दी है कि आपन्दा काश्त नहीं करने देंगे व आराजी से बेदखल करेंगे व दीगर लोगों को पट्टा करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त नाजायज धमकी में सफल हो गए तो वादी वादी की धमकी में सफल हो गए तो वादी बर्बाद हो जायेगा और उसे भारी अकल्पनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी।

अन्त में वाद-वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

दावा पेश होने पर उर्फ रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। पेशकार सरकार द्वारा दिनांक 02/04/08 को पेश कर दावा की समस्त मदो को अस्वीकार किया है।

दावा जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1- आया वाद पत्र [illegible] मे वर्णित आराजी का वादी रिकार्ड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है।

2- आया प्रतिवादी ने दिनांक 22/5/2006 को वादी को धमकी दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

दादरसी :

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने जमाबन्दी 2059-2062 पेश कर, मौखिक साक्ष्य में PW-1 रतीराम, PW-2 मोली के शपथ पत्र पेश हुए। साक्ष्य प्रतिवादी - बार-2 मौका देने के उपरान्त भी पेश नहीं करने पर दिनांक 19/1/2021 से बन्द की गई।

हमने बहस एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक वादी को सुना। एड० वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद-वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया है। सवाल जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

1- आया वाद पत्र की स्वाद संख्या 01 में वर्णित आराजी का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है ! - इस तनकी को सिद्ध करने का भार स्वयं वादी के ऊपर है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2059-2062 अनुसार आ० खसरा नं० 1059 रकबा 0.45, 1060 रकबा 0.03, 1061 रकबा 0.50 वाके ग्राम - पीपरी तहसील बयाना चारागाह कस्टोडियन दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी उसके पुरखों की खुदकाश्त, खेवट की आराजी है। चारागाह आराजी गांवों के मवेशी के चरने बाबत राजकीय आराजी है। राजकीय चारागाह में वादी द्वारा यदि काश्त की जा रही है तो वह अतिक्रमण कर की जा रही होगी। नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर वादी अतिक्रमी कहलाएगा। अतिक्रमी का कब्जा काश्त करने पर पाने का अधिकारी नहीं है एवं राजकीय आराजी में डिक्लेरेशन पाने को ... सकता है। विवादित ना ही हुक्म इम्तनाई पाने ... है। वादी को उक्त आराजी चारागाह कस्टोडियन ... प्रकार दादरसी नहीं विवादित आराजी बाबत ... अतः यह तनकी विरुद्ध वादी तय की जा सकती है। प्रतिवादीगण सिद्ध की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

2- आया प्रतिवादी ने दिनांक 22/5/06 को वादी को धमकी दी है। अतः तनकी नम्बर 02 वादी के विरुद्ध तय हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण सिद्ध की जाती है।

3- दादरसी — तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरुद्ध तय हो चुकी है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

आदेश —

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। डिग्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/04/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:42 IST
Reason: SelfAttested